भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1985
दिनांक 02 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

बिहार में उप-स्वास्थ्य केन्द्र

1985. श्री दिनेश चंद्र यादव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बिहार में प्राथमिक, अतिरिक्त और उप-स्वास्थ्य केन्द्रों की जिला-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या उक्त सभी केन्द्रों के पास अपना भवन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे केंद्रों की जिला-वार कुल संख्या कितनी है, जो बिना अपने भवन के चल रहे हैं;

(घ) क्या बिहार के उक्त सभी स्वास्थ्य केन्द्रों, विशेषकर मधेपुरा और सहरसा जिलों में रक्त परीक्षण की सुविधा उपलब्ध है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार बिना भवन के चल रहे स्वास्थ्य केन्द्रों को उक्त प्रयोजनार्थ भवन निर्माण में सहायता देने के साथ-साथ कर्मचारियों की सहायता करने के संदर्भ में किसी प्रकार की सहायता प्रदान करती है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत पांच वर्षों के दौरान इस संबंध में वर्ष-वार कुल कितनी धनराशि जारी की गई है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी (आरएचएस) एक वार्षिक प्रकाशन है जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित स्वास्थ्य परिचर्या प्रशासनिक आंकड़ों पर आधारित है। बिहार के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भवन की स्थिति (सरकारी/किराया/किराया मुक्त) के साथ कार्यरत उप-केंद्रों (एससी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) की संख्या का विवरण आरएचएस 2021-22 के निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:
https://hmis.mohfw.gov.in/downloadfile?filepath=publications/Rural-Health-Statistics/RHS%202021-22.pdf

(घ): 30.06.2024 की स्थिति के अनुसार, मधेपुरा जिले में 281 आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) और सहरसा जिले में 162 एएएम संचालित हैं। इन एएएम को प्रत्यक्ष लागत और जेब से होने वाले खर्च दोनों को कम करने के लिए नि:शुल्क निदान सेवा पहल (एफडीएसआई) के तहत कवर किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत एसएचसी स्तर पर 14 जांच और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर 63 जांच का प्रावधान मौजूद है।

(ङ) और (च): पीएम-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के तहत, वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए बिहार राज्य के लिए भवन-रहित एससी-एएएम की कुल 2546 इकाईयों का प्रावधान किया गया है। पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत, वित्त वर्ष 2021-22 से 2023-24 के लिए बिहार राज्य के लिए भवन-रहित एससी और पीएचसी की कुल 454 इकाइयों को मंजूरी दी गई है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों के लिए अनुमोदन प्रदान करती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी आरओपी का ब्यौरा निम्नलिखित वेब लिंक पर उपलब्ध है: https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=1377&lid=744

वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, पीएम-एबीएचआईएम और पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत बिहार राज्य को केन्द्र द्वारा जारी की गई धन-राशि रिलीज का विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	**वित्त वर्ष**	**पीएम-एबीएचआईएम के तहत जारी की गई धन -राशि**	**पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत जारी की गई धन- राशि**	**एनएचएम के तहत जारी की गई धन-राशि**
1	2019-20	-	-	1,510.68
2	2020-21	-	-	1,814.63
3	2021-22	125.86	1,116.30	1,748.76
4	2022-23	7.17	-	1,586.57
5	2023-24	-	-	2,032.95

नोट: उपरोक्त निर्मुक्तियां केंद्र सरकार के अनुदानों से संबंधित हैं और इसमें राज्य के हिस्से का योगदान शामिल नहीं है।
